सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 10.08.2026 को आयोजित विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही:

क्र0सं0	प्रशाखा / विषय	निर्णय / निदेश
1	**सहयोग पोर्टल।**	प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को **राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में विभाग अंतर्गत सूचीबद्ध आवेदनों का निष्पादन** ससमय सुनिश्चित किया जाए। विभागीय नोडल पदाधिकारी, जिला द्वारा निष्पादित आवेदनों के गुणवत्ता की समीक्षा भी समय–समय पर कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। (अनुपालन– श्री अखिलेश कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर)
2	**पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम।**	ग्राम पंचायत के सतत् विकास हेतु महीना के अंतिम रविवार को आयोजित पंचायत विकास दिवस अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में से Aspiration संबंधी आवेदन को संबंधित विभाग एवं Grievance संबंधी आवेदन को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजने का निदेश दिया गया था। आवेदनों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु **विभिन्न विभाग के संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर Sensitize** किया जाए। साथ ही प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त **आवेदनों को वर्गीकृत करने के संबंध में एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन** हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए। (अनुपालन– विभागीय अनुश्रवण कोषांग एवं प्रशाखा–11)
3	**पंचायत विकास योजना (PDP) ।**	वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पंचायत विकास योजना (PDP) का निर्माण एवं अनुमोदन पश्चात् ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर 15 अगस्त, 2026 तक अपलोड किया जाना है। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मात्र 5831 ग्राम पंचायतों का GPDP एवं 16 पंचायत समितियों का BPDP ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया गया है। उक्त कार्य में गति लाते हुए हर हाल में **निर्धारित तिथि दिनांक 15.08.2026 तक ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर विकास योजना अपलोड** किया जाए। (अनुपालन– परियोजना निदेशक, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था)
4	**पंचायतों का वित्तीय वर्ष 2024–25 का अंकेक्षण।**	समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मात्र **67.7 प्रतिशत ग्राम पंचायतों, 50.9 प्रतिशत पंचायत समितियों एवं 13.2 प्रतिशत जिला परिषदों का वित्तीय वर्ष 2024–25 का अंकेक्षित प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड** किया गया है। विदित हो कि 16वीं वित्त आयोग अंतर्गत अनुदान की विमुक्ति हेतु वित्तीय वर्ष T-2 (पिछले से पिछले वर्ष) का अंकेक्षित प्रतिवेदन एवं वित्तीय वर्ष T-1 (पिछले वर्ष) का औपबंधिक लेखा सार्वजनिक रूप से ऑनलाईन किया जाना अनिवार्य है। उक्त के आलोक में निदेश दिया गया कि स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय (DLFA) से समन्वय कर आवश्यकतानुसार **अंकेक्षित प्रतिवेदन अपलोड किये जाने हेतु विभाग में अस्थायी व्यवस्था** सुनिश्चित किया जाए ताकि ससमय शत–प्रतिशत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय वर्ष 2024–25 का अंकेक्षित प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड सुनिश्चित किया जा सके। (अनुपालन– प्रशाखा–7)

क्र0सं0	प्रशाखा / विषय	निर्णय / निदेश
5	16वीं वित्त आयोग अंतर्गत अनुदान की विमुक्ति।	16वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रथम किस्त के रूप में अनुदान की विमुक्ति हेतु योजना के प्रावधानानुसार अधियाचना (संगत अनुलग्नकों सहित) पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–5 एवं प्रशाखा–13)
6	ई–पंचायत बिहार पोर्टल एवं CMS Portal का Security Audit किये जाने के संबंध में।	ई–पंचायत बिहार पोर्टल एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना से संबंधित CMS Portal का **Security Audit** बेल्ट्रॉन, पटना एवं NIC, Patna से समन्वय कर सुनिश्चित किया जाए। (अनुपालन– आई0टी0 मैनेजर)
7	आधार केन्द्र का अधिष्ठापन एवं संचालन।	ग्राम पंचायत भवन के संस्थागत सार्वजनिक बुनियादी ढ़ाँचा का ग्रामीणों के हित में अधिक–से–अधिक लाभ उठाने, निवेश में दोहराव को कम करने, पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा डिजिटल सेवाएँ प्रदान किये जाने के आलोक में **CSC e-Governance Services India Limited** के द्वारा पंचायत सरकार भवन में आधार केन्द्र का अधिष्ठापन एवं संचालन करने तथा ग्रामीणों को अधिक से अधिक सार्वजनिक एवं व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु **गैर–वित्तीय (Non-Financial) MoU** का प्रारूप उच्च स्तरीय निर्णय हेतु एक सप्ताह के भीतर उपस्थापित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–2)
8	वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी / अंकेक्षण पदाधिकारी / SQM / DQM की सेवा संविदा पर लिये जाने के संबंध में।	समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी / अंकेक्षण पदाधिकारी / SQM / DQM की सेवा संविदा के आधार पर लिये जाने हेतु प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध प्राप्त आवेदन की जाँच (Scrutiny) किया जा चुका है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजे जाने हेतु नियमानुसार प्रस्ताव** तैयार कर उपस्थापित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–3 एवं प्रशाखा–7)
9	ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर एवं Accessories उपलब्ध कराने के संबंध में।	ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर एवं Accessories उपलब्ध कराये जाने हेतु एजेंसी का चयन कर दिनांक **16.03.2026 को LOA निर्गत** किया गया था, जिसके अनुसार **3 महीने के अन्दर** एजेंसी द्वारा ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर एवं Accessories उपलब्ध कराया जाना था। उक्त के आलोक में एजेंसी द्वारा पंचायतों को उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर एवं Accessories के संबंध में **अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराई जाए**। (अनुपालन– परियोजना निदेशक, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था)
10	सोलर लाईट अधिष्ठापन के संबंध में प्रस्ताव।	1. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत अनुरक्षकों के मानदेय का भुगतान के संबंध में **लोक वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्ताव** तैयार कर उपस्थापित किया जाए। 2. पंचायत सरकार भवन पर **20KW** Ongrid सोलर पैनल का अधिष्ठापन, ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम मुख्यालय में **High Mast Solar Light** का अधिष्ठापन एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत अधिष्ठापित जलमीनारों पर **5KW** Ongrid सोलर पैनल का अधिष्ठापन के संबंध में समुचित प्रस्ताव तैयार कर उच्च स्तरीय निर्णय हेतु उपस्थापित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–3)

क्र0सं0	प्रशाखा / विषय	निर्णय / निदेश
11	पंचायती राज अभियंत्रण संगठन के संबंध में।	पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का तकनीकी प्रबंधन, प्राक्कलन तैयार करने, योजनाओं का तकनीकी अनुश्रवण करने, गुणवत्ता जांच करने, योजनाओं का अनुरक्षण एवं पोर्टल पर योजनाओं से संबंधित तकनीकी आंकड़ों की प्रविष्टि सुनिश्चित करने हेतु **10 ग्राम पंचायत पर 01 कनीय अभियंता, प्रमंडल स्तर पर 01 अधीक्षण अभियंता एवं मुख्यालय हेतु 01 मुख्य अभियंता का पद सृजन किये जाने के संबंध में प्रशासी पदवर्ग समिति के विचारार्थ** प्रस्ताव तैयार कर उपस्थापित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–3)
12	जिलों का रैंकिंग किये जाने के संबंध में।	विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अंतर्गत सौंपे गये दायित्व के निर्वहन इत्यादि के आधार पर **जिलों का रैंकिंग किये जाने के लिए मानदंड (Criteria) एवं Weightage** संबंधी प्रस्ताव तैयार कर विचार–विमर्श हेतु **18 अगस्त, 2026 से पहले** उपस्थापित किया जाए। (अनुपालन– श्री आशुतोष कुमार, प्रोजेक्ट लीड एवं संबंधित प्रशाखा)
13	ई–पंचायत बिहार पोर्टल पर Module विकसित किये जाने के संबंध में।	राज्य योजना मद से क्रियान्वित योजनाओं का **Transaction, लेखा** ई–पंचायत बिहार पोर्टल के माध्यम से संधारित किये जाने हेतु NIC, Patna से समन्वय स्थापित कर **Schemewise Module** विकसित किया जाए। (अनुपालन– अनुश्रवण कोषांग एवं संबंधित प्रशाखा)

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

11/8/26
(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांकः 9प / प्र0–08–802(खण्ड) / 2016 / 11569 / पं०रा० पटना, दिनांक 11 / 8 / 2026

प्रतिलिपिः निदेशक / परियोजना निदेशक / विशेष सचिव / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / अवर सचिव / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार / सभी प्रशाखा पदाधिकारी / प्रभारी अनुश्रवण कोषांग / आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने प्रशाखा से संबंधित विषयों पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः 9प / प्र0–08–802(खण्ड) / 2016 / 11569 / पं०रा० पटना, दिनांक 11 / 8 / 2026

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक के आशुलिपिक / अपर सचिव के आशुलिपिक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः 9प / प्र0–08–802(खण्ड) / 2016 / 11569 / पं०रा० पटना, दिनांक 11 / 8 / 2026

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव